न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 135 / 2022(2022 / 502)

1. सुरेश कुमार साहू पुत्र सोहनलाल साहू जाति तेली।
2. महावीर प्रसाद तेली पुत्र सोहनलाल तेली जाति तेलीं
3. धर्मराज गुर्जर पुत्र राधाकिशन गुर्जर जाति गुर्जर।
4. रमजानी पिनारा पुत्र मोजूदीन पीनारा जाति मुसलमान
   समस्त निवासीगण ग्राम खवास तहसील केकडी जिला अजमेर।

---प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. रामगोपाल पुत्र श्री काना कुम्हार निवासी ग्राम खवास तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय, केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः—
प्रार्थी वकील :— श्री विष्णु कुमार साहू
पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 7-9-22

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम खवास तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** की जमाबन्दी संवत **2072—76** में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड हैः—

खाता संख्या (नया—पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
706—77	4797 / 4727	0.27	नहरी—2
1190—644	4878 / 4728	0.05	नहरी—2

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थिगण के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा प्रार्थीगण के नाम खातेदार काश्तकार में दर्ज हैं अप्रार्थीगण संख्या 1 उक्त वर्णित आराजीयात के पडौसी है तथा मोके पर पडौसियों को सीमा विवाद के कारण आपस में झगडा होने का सदैव अन्देशा बना रहता है उपरोक्त वर्णित आराजीयात के स्थाई सीमा चिन्ह पत्थरगढी नही होने से आये दिन सीमा विवाद व मेड को तोड देते है व पडोसियों के मध्य विवाद होता रहता है प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी को उपरोक्त वर्णित आराजीयात का सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त सीमाज्ञान से अप्रार्थीगण संतुष्ट नही है तथा अप्रार्थीगण ने सीमा चिन्हों को नष्ट कर दिया है दिनांक 25.12.2021 को प्रार्थी उपरोक्त वर्णित आराजीयात को हाकने गये तो अप्रार्थीगण लडाई झगडा फसाद करने लग गये एवं प्रार्थी को हाकने चौकने नही दिया तथा झगडा फसाद करने लग गये इस हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। स्थाई पत्थरगढ़ी व सीमा चिन्ह लगाये जाने का आदेश किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण अपनी उपरोक्तानुसार आराजी पर पत्थर गढ़ी कराने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गई। अप्रार्थी संख्या 2 पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकडी द्वारा जवाब

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

टिप्पणी अंकित कर बताया कि संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार प्रार्थना पत्र में अंकित अराजी खातेदारी में दर्ज है राजहित प्रभावित नही है। पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम खवास तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2072–76 के खाता संख्या नया पुराना 706–77 के खसरा संख्या 4797/4727 के रकबा 0.27हैक्टर व खाता संख्या नया–पुराना 1190–644 के खसरा संख्या 4878/4728 के रकबा 0.05हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner